सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

गीता देवी बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 212 आरटीए नम्बर....12..../2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.18	अभिभाषक अपीलांट श्री अजय ओझा उपस्थिति। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुआ। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। अभिभाषक प्रार्थी को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने स्थगन प्रार्थना पत्र बहस करते हुए कथन किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि वाके रोही गजनेर में खसरा नम्बर 612 तादादी 3.25 हेक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थी अपने कब्जे शुदा भूमि पर परिवार सहित लम्बे अर्से से निरन्तर शांतिपर्वूक निवास करता आ रहा है। प्रार्थी की उक्त खरीदशुदा भूमि के चिपती आराजीराज भूमि है जिसे प्रार्थी ने रूपये पैसे खर्च करके काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 08–05–2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में उपस्थित होकर कथन किया कि प्रार्थी उक्त भूमि के बाबत् तावान जमा करवाती रही है। इसलिए न्यायहित में उक्त भूमि की खातेदारी प्रदान की जावे। अदालत मातहत ने अर्थात तहसीलदार कोलायत द्वारा कथन किया गया कि चूंकि वादगत् भूमि के बाबत् पूर्व में वाद खारिज हो चुका है व जो अपील प्रस्तुत की गई है उसमें किसी प्रकार का स्टे आर्डर नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि से तुम्हें बेदखल करके अन्य को आवंटित कर देंगें। चूंकि वादगत् को प्रार्थी द्वारा काफी मेहनत करके काबिल काश्त बनाया है ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि पर प्रथम अधिकार प्रार्थी का बनता है। दौराने अपील यदि प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो व अन्य को आवंटित की जाती है है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। चूंकि वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार	

करते हुए वादगत् भूमि ग्राम गजनेर के खसरा नम्बर 612 रकबा 3.25 हेक्टर भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में प्रार्थी द्वारा वादगत् भूमि वाके रोही गजनेर के खसरा नम्बर 612 तादादी 3.25 हेक्टर भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दिनांक 11–05–2018 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने की इस्तदुआ की गई है।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र व मूल पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर वादगत् भूमि के बाबत् अपील दिनांक 25–05–2017 को प्रस्तुत की जा चुकी है। तत्समय प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करते समय किसी प्रकार के स्थगन की इस्तदुआ नहीं की गई थी। तत्पश्चात् उक्त अपील प्रस्तुत करने के एक वर्ष के उपरान्त उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 11–05–2018 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 25–05–2017 को अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–02–2017 जिसके माध्यम से प्रार्थी का दावा खारिज किया गया है के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है। हमने उक्त अपील के साथ प्रस्तुत अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। उक्त निर्णय के अवलोकन मात्र से यह तथ्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि अदालत मातहत द्वारा प्रार्थी का दावा इस आधार पर खारिज किया गया है कि **वादगत् भूमि राजकीय भूमि है जिस पर प्रार्थी को कोई कॉज ऑफ एक्शन प्राप्त नहीं है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी को कोई कानूनी हक प्राप्त नहीं होता है।**

इसप्रकार प्रथम दृष्टया यह स्थिति उभर कर सामने आती है कि वादगत् भूमि एक राजकीय भूमि है। जिस पर प्रार्थी की हैसियत एक अतिकमी की है। इस संबंध में अदालत मातहत द्वारा प्रार्थी को धारा 91 के नोटिस भी जारी किये जा चुके है। चूंकि प्रकरण में अपीलांट द्वारा पूर्व में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है व उक्त अपील में अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड आना शेष है। ऐसी स्थिति में मात्र प्रार्थी के कथन पर विश्वास करते हुए वादगत्

भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

वादगत् भूमि के बाबत् प्रार्थी के हक, हकुकों व अधिकारों का निस्तारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर तय होने है।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि के आवंटन की कोई कार्यवाही अदालत मातहत द्वारा की जा रही हो। केवल मात्र प्रार्थी के मौखिक कथन को आधार मानकर अपील के इस स्तर पर प्रकरण में वादगत् भूमि ग्राम गजनेर के खसरा नम्बर 612 तादादी 3.25 हेक्टर भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा।

प्रार्थी अपने कथनों व दस्तावेजी साक्ष्यों से यह साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है कि उन्हें किस प्रकार अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होती है। अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दॅफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर